

। कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा,

ज्ञापन

क्रमांक / प्रति, / प्र.3 / अ.वि.अ. / 2025

बेमेतरा, दिनांक - 9 APR 2025

उपसंचालक

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय

चिखली, खैरागढ़ रोड राजनांदगांव(छ.ग.)

विषय:-

धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.राजपत्र में करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस न्यायालय के भू-अर्जन प्रकरण में प्रभावित निजी भूमि के संबंध में धारा 19 अंतर्गत अंतिम अधिसूचना की प्रति माननीय कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इस अधिसूचना का छ.ग.राजपत्र में प्रकाशन कर राजपत्र प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:- डोटू व्यपवर्तन योजना अंतर्गत उधरा माईनर में प्रभावित निजी भूमि ग्राम उधरा, तहसील बेमेतरा की धारा 19 अंतर्गत अधिसूचना की प्रति।

भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी(रा.) बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 07/04/2025

क्रमांक / 804 / प्र.3 / अ.वि.अ. / 2024

प्रतिलिपि:-1. कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा, एन.आई.सी. शाखा की ओर सादर संप्रेषित। कृपया

अधिसूचना की प्रति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

2. कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ।

3. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग साजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना की प्रति को दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर एक-एक प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

4. कार्यालय तहसीलदार (मालजमादार शाखा) बेमेतरा, अधिसूचना की प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर तामिली इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

5. सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत ^{उधरा} बेमेतरा अधिसूचना की प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।



भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी(रा.) बेमेतरा(छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-बेमेतरा एवं पदेन उप-सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
// अधिसूचना //**

क्रमांक / भू-अर्जन / 2021

बेमेतरा, दिनांक

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की की डोट्ट व्यपवर्तन योजना से उधरा माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन

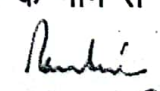
1. जिला :- बेमेतरा, 2. तहसील :- बेमेतरा 3. ग्राम :- उधरा
4. भूमि का क्षेत्रफल:- 1.52 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हे.मे)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.मे)
1	2	3	4
165/9	0.13	189/2	0.06
165/1	0.09	175/1	0.35
165/8	0.01	175/2	0.03
165/2	0.10	178	0.31
165/3	0.12	332/2	0.17
189/1	0.02	332/1	0.13
योग :-		12	1.52

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है


भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.), बेमेतरा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


कलेक्टर 02.04.2021

जिला बेमेतरा एवं पदेन उपसचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग